न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 19/2020 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 14.02.2020
निर्णय दिनांक– 25.08.2020

1. श्री संग्राम सिंह पिता राजेन्द्र सिंह, राजपूत निवासी हिंगोरिया, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती ईश्वर कंवर पत्नि संग्राम सिंह, राजपूत निवासी हिंगोरिया, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री जालम सिहं पिता संग्राम सिंह, राजपूत निवासी हिंगोरिया, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार छोटीसादडी (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री संजय सेन : अधिवक्ता अपीलान्ट
राजकीय अभिभाषक : रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के
प्रकरण सख्या 02/2013 निर्णय दिनांक 14.03.2015

निर्णय

दिनांक–25.08.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ प्रकरण संख्या 02/2013 निर्णय दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध

दिनांक 15.05.2015 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 24.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 14.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–1/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व नियम 1970 के तहत कर निम्न प्रकार निवेदन किया कि मौजा हिंगोरिया पटवार हल्का चांदोली की आराजी संख्या 234 रकबा 6.30 में से रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि आवंटन प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), छोटीसादडी, द्वारा राजस्व अभियान–2013 शिविर मुकाम चांदोली, पंचायत समिति, छोटीसादडी दिनांक 10.04.2013 को उक्त भूमि अपीलांट/विपक्षीगण को आवंटित की गई है। उक्त भूमि आवंटन के संबंध में ग्राम पंचायत चांदोली की आपत्ति होते एवं उक्त भूमि को ग्राम में चरनोट की अपर्याप्तता के अधिन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.09.2010 को चरनोट हेतु प्रस्तावित किये जाने की जानकारी होते हुए भी राजस्व कार्मिकों द्वारा राजस्व अभियान के दौरान अपीलांट /विपक्षीगण को लाभ पहुंचाने की नियत से आवंटन से प्रतिबंधित किस्म गै. मु. रूण्डी की भूमि का अपीलांट/विपक्षीगण के भूमिहीन एवं SC/ST संवर्ग के काश्तकार नही होते हुए भी विधि के विपरीत आवंटन किया जाना विधि विरूद्ध रहा है। अपीलांट/विपक्षीगण के उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रहते हुए भी आवंटी के पक्ष में आवंटन किया जाने के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय दिनांक 14.03. 2015 से मिसल नम्बर 46/2013 आदेश दिनांक 10.04.2013 से अपीलांट/विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि मौजा हिंगोरिया की आराजी संख्या 234 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि को राजसात किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट/विपक्षीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट/विपक्षीगण स्वीकार किया जाने का निवेदन

किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.03.2015 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया *" बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.2013, आवंटन मिसल नम्बर 46/2013 आदेश दिनांक 10.04.2013, के साथ–साथ अन्य संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन एवं गहन अध्ययन किया गया।*

उपरोक्त संपूर्ण विवेचन की रोशनी से ज्ञात आया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यांकन अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि आराजी संख्या 234 के संबंध में ग्राम पंचायत चांदोली द्वारा आपत्ति दर्ज कराया जाना रिकार्ड आवंटन पत्रावली पर दर्शित है, तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को चरनोट में लिये जाने संबंधी प्रस्ताव सख्या 2 एवं NOC *दिनांक 16.09.2010 के साथ–साथ ग्राम पंचायत चांदोली द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत आवंटन आक्षेप पत्र दिनांक 10.04.2013 के अनुसार आराजी संख्या 234 को आवंटन से परे रखे जाने बाबत आपत्ति पत्र से दर्शित होता है कि आवंटन में प्रयुक्त आराजी विवादित भूमि रही है, भू–आवंटन सलाहकार समिति की राय (कोरम) में विहित जनप्रतिनिधी मण्डल में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा अपील राय को आवंटन आवेदन पर स्पष्ट नहीं करते हुए हस्ताक्षर नही किया जाना भी दर्शित रिकार्ड है जबकि साधारण प्रकृम में भी संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधी/सक्षम प्राधिकारितानुसार सरपंच का अनुमोदन वांछित रहा है, तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध विभिन्न रिकार्ड जमाबंदियों एवं नकल पी–14 के अनुसार आवंटीगण के मौरूसी भूमियों में अपना हक–हिस्सा रखते है जिसके अनुसार आवंटी प्रथम दृष्टया आवंटन का पात्र भी नही माना जा सकता है मौरूसी भूमियों का उल्लेख आवंटन आवेदन पत्रांक में रिपोर्ट पटवार हल्का द्वारा भी अंकित किया गया है, यद्यपि आवंटित आराजीयात परकान/बाडा निर्मित होकर आवंटी/अप्रार्थीगण के कब्जे के आधार पर राजस्व नियमावली में विहित सीमातक नियमन प्रस्तावित किया जाना था। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश मिसल नम्बर 46/2013 दिनांक 10.04.2013 संशयप्रद प्रतित*

होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में निहित पक्षकारान एवं अन्य विवादित स्थितियों (हक–हिस्सा, कब्जा–काश्त एवं न्यायिक अधिकार) के अंतिम स्थिरिकरण हेतु प्रकरण मेरिट के आधार पर निस्तारित करते हुए विवादित आराजी संख्या 234 रकबा 0.30 हैक्टेयर को राजसात किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, छोटीसादडी को निर्देशित किया जाता है आवंटन मिसल संख्या 46/2013 आदेश दिनांक 10.04.2013 से विपक्षीगण/आवंटी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि मौजा हिंगोरिया की आराजी संख्या 234 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि को राजसात किया जावे तथा विादित आराजीयात के परिपेक्ष्य में वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे–काश्त की अवधारणा करते हुए भू–राजस्व अधिनियम 1956/राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व नियमावली में किये गये प्रावधानों अनुसार आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार छोटीसादडी को इस आशय की तहरीर जारी हो।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट/विपक्षीगण द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन अपीलांट उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजुद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 14.08.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट/विपक्षीगण ने अपनी लिखित बहस दिनांक 24.08.2020 पेश कर बताया कि प्रकरण में मौजुदा रेस्पोडेंट द्वारा 14(4) के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें मौजुदा अपीलांट द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किये गये थे किन्तु अधिवक्ता

द्वारा माकुल पैरवी नही की गयी ना ही न्यायालय में उपस्थिति दी गयी ना ही अपीलांट के दस्तावेज न्यायालय में पेश किये जा सकें। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा बहस सुनकर निर्णय पारित किया जो काबिल निरस्त होकर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है। आराजी संख्या 234 रकबा 6.30 हैक्टेयर भूमि में से केवल 0.30 हैक्टेयर भूमि अपीलांट को दिनांक 10.04.2013 को आवंटित की गयी थी तथा आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा जारी आवंटन आदेश पर प्रधान, पंचायत समिति छोटीसादडी, विकास अधिकारी, तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी ने पूर्ण जांच पड़ताल कर 0.30 हैक्टेयर भूमि अपीलांट को आवंटित कर आवंटन पत्र पर हस्ताक्षर किये है। आराजी संख्या 234 में 0.30 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का मकान/बाड़ा बना होकर विगत कई वर्षो से उपयोग उपभोग भी कर रहा है। वक्त आवंटन आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में किस्म चरनोट भूमि दर्ज नहीं थी ना ही वर्तमान में चरनोट भूमि है। आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार संपूर्ण कार्यवाही कर अपीलांट/आवंटित को पात्र मानकर एवं सरपंच, ग्राम पंचायत चांदौली की आपत्ति का निस्तारण करते हुए अपीलांट को भूमि आवंटित की गयी थी। अपीलांट ने भूमि आवंटन के पूर्व एवं पश्चात किसी भी आवंटन नियमों की अवहेलना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वार मौजुदा रेस्पोडेंट का मौरूसी हक हकुक मान प्रकरण निस्तारित किया है, जबकि आवंटित भूमि में मौरूसी हक हकूक का प्रश्न ही अंर्तवलित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ के निर्णय दिनांक 14.03.2015 को निरस्त कराने एवं आवंटन दिनांक 10.04.2013 को बहाल रखे जाने बाबत निवेदन किया गया।

रेस्पोडेंट राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अपील अंदर मयाद पेश हुई है।

प्रकरण में अब हम गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट आवंटीगण को दिनांक 10.04.2013 को विवादित आराजीयात का आवंटन किया गया है। आवंटन में सरपंच द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में भाग नहीं लिया गया है जबकि आवंटन ग्राम पंचायत चांदोली मुख्यालय पर ही किया गया है। आवंटन दिनांक 10.04.2013 को ही ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा आवंटन की जाने वाली आराजी नं0 234 जिसका आवंटन अपीलाण्ट को किया गया है, उसे आवंटन नहीं करने व चरनोट बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने का उल्लेख किया है जिस पर पटवारी की रिपोर्ट लेने पर के बाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 10.04.2013 को उक्त आवेदन खारिज कर दिया है। उक्त आवेदन व उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट है कि अपीलाण्ट प्रार्थी को किया गया आवंटन आराजी नं.0 234 बाबत् सरपंच जो कि आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य है, उसकी आपत्ति विद्यमान थी तथा यह आपत्ति आवंटन दिनांक को ही की गयी थी एवं इससे यह सुव्यक्त धारणा भी बनती है कि इसी कारण आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में सरपंच द्वारा भाग नहीं लिया गया तथा सरपंच की जो आपत्ति थी, उसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी खारिज कर दिया गया है। इस बारे में राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 13 (6) निम्नप्रकार है –

The allotment shall be made on the advice of the Advisory Committee, in case of difference of opinion amongst the members of the Committee, the opinion of dissenting members shall be recorded. The Sub-Divisional Officer may, if he disagrees with the views of the Committee or in case there is any difference of opinion amongst the members of the Committee refer the matter to the Collector for final orders.

उक्त नियमों में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय/सम्मति के आधार पर आवंटन

किया जाएगा तथा यदि आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय से उपखण्ड अधिकारी सहमत नहीं हो एवं आवंटन सलाहकार समिति के मध्य मतभेद हो तो प्रकरण को जिला कलक्टर को निर्णय के लिए प्रेषित किया जाएगा। यहां पर यह स्पष्ट है कि सरपंच की आपत्ति को उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही निरस्त कर दिया गया है जबकि आवंटन नियमों के अनुसार उक्त सरंपच की आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए जो आवंटन दिनांक को ही पेश की गयी, प्रकरण को जिला कलक्टर को निर्णयार्थ अग्रेषित किया जाना था। इससे यह प्रकट आता है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमों की पालना के बिना उक्त आवंटन किया गया है। यदि कोई आवंटन प्रथम दृष्टया ही नियमविरूद्ध हो तो उक्त आवंटन को विधिक आवंटन नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों तथा अन्य तथ्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है।

अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात व लिखित एवं मौखिक अभिकथनों में ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है जिससे विद्यमान नियमों के उल्लंघन का खण्डन किया जा सकें, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किये गये आवंटन को खारिज करने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं की। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर